

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या-15/बि0स0से-20-08/2016 सा0प्र0 2699 /, पटना-15, दिनांक 6-3-17

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा परिचारित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के नियम-4 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी के मामलों पर विचारण के लिए निम्नांकित प्रकार से विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है:-

1. श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव, - अध्यक्ष
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
2. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से - सदस्य
निम्न स्तर के न हों
3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु0 जाति/ - सदस्य
अनु0 जनजाति के पदाधिकारी
4. श्री गुफरान अहमद, उप सचिव, - सदस्य
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक
समुदाय के पदाधिकारी

2. स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार यथा संभव जनवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र राम) 6/3/2017

सरकार के अपर सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-20-08/2016 सा0प्र0 2699 /, पटना-15, दिनांक 6-3-17

प्रतिलिपि:-ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजार बाग, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र राम) 6/3/2017
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-20-08/2016 सा0प्र0...2699...../, पटना-15, दिनांक...6-3-17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-20-08/2016 सा0प्र0...2699...../, पटना-15, दिनांक...6-3-17

प्रतिलिपि:-श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव/श्री गुफरान अहमद, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।